"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जनवरी 2015—पौष 12, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-11-2014 द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2004) संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, एतद्द्वारा उक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-31/2014/एक/15.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राकेश चतुर्वेदी, संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ को दिनांक 24-12-2014 से 31-12-2014 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चतुर्वेदी, संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चतुर्वेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-01/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आर. सी. श्रीवास्तव, भा.पु.से. (1987), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 23-12-2014 से दिनांक 03-01-2015 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, दिनांक 04-01-2015 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद का प्रभार श्री पी. एस. गौतम, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, भा.पु.से. (1987) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-31/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री डी. एल. मनहर, भा.पु.से. (2004), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 26-12-2014 से दिनांक 24-01-2015 तक (कुल 30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए, दिनांक 25-12-2014, दिनांक 25-01-2015 एवं 26-01-2015 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनहर, आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मनहर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. एल. मनहर, भा.पु.से. (2004) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मनहर की अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लेखा/कल्याण, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद का प्रभार श्री शेख आरिफ हुसैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन/चयन, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-26/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18-09-2014, जिसके द्वारा श्री मयंक श्रीवास्तव, भा.पु.से. (2006), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा, जिला दुर्ग को दिनांक 03-10-2014 से दिनांक 10-10-2014 तक (कुल 08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक 03-10-2014 से दिनांक 08-10-2014 तक (कुल 06 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 18-09-2014 की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-7/2014/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07-11-2014 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक को मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी (प्रथम श्रेणी) के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100/- + 6600/- ग्रेड वेतन में पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अलोईस तिर्की, मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, रायपुर (छ.ग.)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-8/2014/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07-11-2014 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित विद्युत शुल्क परीक्षक को मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक (राजपत्रित) के पद पर

वेतनमान रुपये 9300-34800/- + 4400/- ग्रेड वेतन में पदोन्नत किया जाकर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्तम्भ क्र. 4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री आर. के. ध्रुव, विद्युत शुल्क परीक्षक	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-रायगढ़ (छ.ग.)	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-जगदलपुर (छ.ग.)
2.	श्री संतराम ध्रुव, विद्युत शुल्क परीक्षक	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय-कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग-बिलासपुर (छ.ग.)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 की कंडिका क्रमांक (4) 4.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 4-22/20-दो/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. शीर्षक “लिपिक वर्गीय श्रेणी” के अन्तर्गत अनुसूची-तीन (अ), (ब), (स) एवं (द) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी).”

2. शीर्षक “अलिपिक वर्गीय श्रेणी” के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूची-तीन (अ), (ब), (स) एवं (द) के सरल क्रमांक 1, 5, 3 एवं 5 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये—** हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये—** अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये—** उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी).”

3. शीर्षक “अलिपिक वर्गीय श्रेणी” के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूची-तीन (अ), (ब), (स) एवं (द) के सरल क्रमांक 2, 6, 4 एवं 6 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).”

4. शीर्षक “अलिपिक वर्गीय श्रेणी” के अन्तर्गत क्रमशः अनुसूची-तीन (अ) एवं (स) के सरल क्रमांक 3 एवं 6 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).”

Raipur, the 21st November 2014

No. F 4-22/20-2/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Education Department Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of said rules,—

1. Under the Heading "Ministerial Grade'', for entries relating to Column (5) of Serial number 1 of Schedule-III (A), (B), (C) and (D), the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. Under the Heading "Non-Ministerial Grade'', for entries relating to Column (5) of Serial number 1, 5, 3 and 5 of Schedule-III (A), (B), (C) and (D) respectively, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :—

(a) **For Stenographer (Hindi)—** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)—** Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer—** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clasue (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. Under the Heading "Non-Ministerial Grade'', for entries relating to Column (5) of Serial number 2, 6, 4 and 6 of Schedule-III (A), (B), (C) and (D) respectively, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year Examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized Institute.

(2) One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

4. Under the Heading "Non-Ministerial Grade'', for entries relating to Column (5) of Serial number 3 and 6 of Schedule-III (A) and (C) respectively, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First Year Examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One Year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट/अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बॉयलर क्र.	छूट की समयावधि
1.	M.P./3530	दिनांक 14-09-2014 से 13-03-2015 तक (छूट)
2.	M.P./4297	दिनांक 23-10-2014 से 22-01-2015 तक (छूट)
3.	M.P./3198	दिनांक 01-11-2014 से 30-01-2015 तक (अतिरिक्त छूट)

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक 2646/2754/2014/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-14/तीन(दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2014/2214, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार नगर पालिका परिषदों के निर्वाचन वर्ष 2014 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 29 दिसम्बर 2014 (सोमवार) एवं 31 दिसम्बर 2014 (बुधवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घण्टे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

परिशिष्ट

नगरपालिका आम निर्वाचन-2014 प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरपालिकाओं की सूची

क्र.	जिला	प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
		नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या	नगरपालिका का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)
1.	बिलासपुर	नगरपालिका निगम, बिलासपुर	66	नगरपालिका परिषद्, तखतपुर	15
		नगरपालिका परिषद्, तिफरा	15	नगरपालिका परिषद्, रतनपुर	15
		नगर पंचायत, बोदरी	15	नगर पंचायत, बिल्हा	15
		नगर पंचायत, सिरगिट्टी	15	नगर पंचायत, कोटा	15
		नगर पंचायत, सकरी	15	नगर पंचायत, पेन्ड्रा	15
				नगर पंचायत, गौरेला	15
				नगर पंचायत, मल्हार	15
2.	मुंगेली	नगर पंचायत, सरगांव	15	नगरपालिका परिषद्, मुंगेली	22
				नगर पंचायत, लोरमी	15
				नगर पंचायत, पथरिया	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)
3.	जांजगीर-चांपा	नगरपालिका परिषद्, चांपा	27	नगर पंचायत, खरौद	15
		न. पा. परिषद्, जांजगीर-नैला	25	नगर पंचायत, नयाबाराद्वार	15
		नगरपालिका परिषद्, अकलतरा	20	नगर पंचायत, शिवरीनारायण	15
		नगरपालिका परिषद्, सक्ती	18	नगर पंचायत, बलौदा	15
				नगर पंचायत, अड़भार	15
				नगर पंचायत, जैजेपुर	15
				नगर पंचायत, डभरा	15
				नगर पंचायत, चन्द्रपुर	15
				नगर पंचायत, सारागांव	15
				नगर पंचायत, नवागढ़	15
				नगर पंचायत, राहौद	15
4.	कोरबा	नगरपालिका निगम, कोरबा	67	नगरपालिका परिषद्, कटघोरा	15
		नगरपालिका परिषद्, दीपका	21	नगर पंचायत, पाली	15
				नगर पंचायत, छुरीकला	15
5.	सरगुजा	नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर	48	नगर पंचायत, सीतापुर	15
				नगर पंचायत, लखनपुर	15
6.	सूरजपुर	नगरपालिका परिषद्, सूरजपुर	18	नगर पंचायत, प्रतापपुर	15
		नगर पंचायत, भटगांव	15	नगर पंचायत, विश्रामपुर	15
				नगर पंचायत, जरही	15
7.	बलरामपुर			नगरपालिका परिषद्, बलरामपुर	15
				नगर पंचायत, रामानुजगंज	15
				नगर पंचायत, वाड्रफनगर	15
				नगर पंचायत, राजपुर	15
				नगर पंचायत, कुसमी	15
8.	कोरिया	नगर पालिक निगम, चिरमिरी	40	नगरपालिका परिषद्, मनेन्द्रगढ़	22
				नगर पंचायत, झगराखांड	15
				नगर पंचायत, खोंगापानी	15
				नगर पंचायत, नईलेदरी	15
9.	रायगढ़	नगर पालिक निगम, रायगढ़	48	नगरपालिका परिषद्, खरसिया	18
		नगर पंचायत, धरमजयगढ़	15	नगर पंचायत, घरघोड़ा	15
		नगर पंचायत, लैलुंगा	15	नगर पंचायत, सरिया	15
				नगर पंचायत, बरमकेला	15
				नगर पंचायत, किरोड़ीमल नगर	15
				नगर पंचायत, पुसौर	15
10.	जशपुर	नगरपालिका परिषद्, जशपुर नगर	20	नगर पंचायत, पत्थलगांव	15
		नगर पंचायत, बगीचा	15	नगर पंचायत कोतबा	15
				नगर पंचायत, कुनकुरी	15
11.	रायपुर	नगर पालिक निगम, रायपुर	70	नगरपालिका परिषद्, तिल्दा नेवरा	22
				न.पा. परिषद्, गोबरानवापारा	21

(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)
				नगरपालिका परिषद्, आरंग	15
				नगर पंचायत, अभनपुर	15
				नगर पंचायत, खरोरा	15
				नगर पंचायत, माना केम्प	15
				नगर पंचायत, कुरा	15
12.	बलौदाबाजार	नगरपालिका परिषद्, भाटापारा	31	नगरपालिका परिषद्, बलौदाबाजार	21
		नगर पंचायत, सिमगा	15	नगर पंचायत, बिलाईगढ़	15
				नगर पंचायत, कसडोल	15
				नगर पंचायत, पलारी	15
				नगर पंचायत, भटगांव	15
				नगर पंचायत, टुण्डरा	15
				नगर पंचायत, लवन	15
13.	गरियाबंद	नगरपालिका परिषद्, गरियाबंद	15	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	15
		नगर पंचायत, छुरा	15	नगर पंचायत, राजिम	15
14.	महासमुंद	नगरपालिका परिषद्, सरायपाली	15	नगरपालिका परिषद्, महासमुंद	30
		नगर पंचायत, पिथौरा	15	नगरपालिका परिषद्, बागबाहरा	15
		नगर पंचायत, तुमगांव	15	नगर पंचायत, बसना	15
15.	धमतरी	नगर पालिक निगम, धमतरी	40	नगर पंचायत, मगरलोड	15
		नगर पंचायत, आमदी	15	नगर पंचायत, नगरी	15
				नगर पंचायत, कुरूद	15
				नगर पंचायत, भखारा	15
16.	दुर्ग	नगर पालिक निगम, दुर्ग	60	नगरपालिका परिषद्, कुम्हारी	24
				नगरपालिका परिषद्, अहिवारा	15
				नगर पंचायत, धमधा	15
				नगर पंचायत, पाटन	15
				नगर पंचायत, उतई	15
17.	बालोद	नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा	27	नगरपालिका परिषद्, बालोद	20
		नगर पंचायत, डौंडी	15	नगर पंचायत, गुंडरदेही	15
		नगर पंचायत, चिखलाकसा	15	नगर पंचायत, डौंडी लोहारा	15
				नगर पंचायत, गुरूर	15
				नगर पंचायत, अर्जुन्दा	15
18.	बेमेतरा	नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा	21	नगर पंचायत, देवकर	15
		नगर पंचायत, बेरला	15	नगर पंचायत, साजा	15
		नगर पंचायत, नवागढ़	15	नगर पंचायत, थान खम्हरिया	15
				नगर पंचायत, परपोड़ी	15
19.	राजनांदगांव	नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	51	नगरपालिका परिषद्, डोंगरगढ़	24
				नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी	15
				नगर पंचायत, छुईखदान	15
				नगर पंचायत, डोंगरगांव	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(9)	(10)
				नगर पंचायत, गंडई	15
				नगर पंचायत, छुरिया	15
20.	कबीरधाम	नगरपालिका परिषद्, कवर्धा	27	नगर पंचायत, पंडरिया	15
		नगर पंचायत, पिपरिया	15	नगर पंचायत, बोड़ला	15
				नगर पंचायत, पाण्डातराई	15
				नगर पंचायत, सहसपुर लोहारा	15
21.	बस्तर	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	48	नगर पंचायत, बस्तर	15
22.	कोण्डागांव	नगरपालिका परिषद्, कोण्डागांव	22	नगर पंचायत, फरसगांव	15
				नगर पंचायत, केशकाल	15
23.	उ.ब. कांकेर	नगर पंचायत, पखांजुर	15	नगरपालिका परिषद्, कांकेर	21
		नगर पंचायत, अंतागढ़	15	नगर पंचायत, भानुप्रतापपुर	15
				नगर पंचायत, चारामा	15
24.	द.ब. दंतेवाड़ा	नगरपालिका परिषद्, दंतेवाड़ा	15	नगरपालिका परिषद्, किरंदुल	18
		नगर पंचायत, गीदम	15	नगरपालिका परिषद्, बड़ीबचेली	18
		नगर पंचायत, बारसूर	15		
25.	सुकमा	नगरपालिका परिषद्, सुकमा	15	नगर पंचायत, दोरनापाल	15
26.	नारायणपुर	नगरपालिका परिषद्, नारायणपुर	15		
27.	बीजापुर	नगरपालिका परिषद्, बीजापुर	15		

प्रथम चरण में नगरपालिकाओं की संख्या-51
द्वितीय चरण में नगरपालिकाओं की संख्या-103

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-78/2012/16.—श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग. श्रम सेवा तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम अधिसूचना राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल 2014 में प्रकाशित की गई है. उक्त राजपत्र में अंग्रेजी भाषा में अनुसूची-1 का प्रकाशन त्रुटिवश नहीं हो पाया है. उक्त प्रति का प्रकाशन, प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 576 "A" के रूप में प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Baster and Sarguja	Classification	Pay Scale	Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Assistant Labour Officer	18		Class-III	9300-34800	4300	
2.	Superintendent	01		Class-III	9300-34800	4300	
3.	Assistant Superintendent	01		Class-III	9300-34800	4200	
4.	Stenographer Grade-II	01		Class-III	9300-34800	4300	
5.	Chemist	02		Class-III	9300-34800	4200	
6.	Labour Inspector	98		Class-III	5200-20200	2800	
7.	Stenographer Grade-III	03		Class-III	5200-20200	2800	
8.	Statistical Supervisor	01		Class-III	5200-20200	2800	
9.	Assistant Grade-I	05		Class-III	5200-20200	2800	
10.	Labour Sub-Inspector	47		Class-III	5200-20200	2400	
11.	Assistant Grade-II	43	10	Class-III	5200-20200	2400	
12.	Lab Assistant	02		Class-III	5200-20200	2400	
13.	Data Entry Operator	20	05	Class-III	5200-20200	2400	
14.	Assistant Grade-III	81	13	Class-III	5200-20200	1900	
15.	Steno-typist	02		Class-III	5200-20200	1900	
16.	Driver	05		Class-III	5200-20200	1900	

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-61/2014/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2395/277/बत्तीस/भोपाल, दिनांक 28-5-1979 जिसमें पण्डरिया निवेश क्षेत्र की सीमायें निर्धारित की गई है, की अनुसूची में पश्चिम में ग्राम सिंगारपुर एवं मोतिमपुर के मध्य अलीपुर भी पढ़ा जावे.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-62/2014/32.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3438/बत्तीस/भोपाल, दिनांक 01-8-1980 द्वारा बेमेतरा निवेश क्षेत्र का गठन करते हुए उसकी सीमाएं परिनिश्चित की गई है, में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13(2) (क) के तहत राज्य शासन उक्त निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुये नीचे दी गई अनुसूची में पुनरीक्षित सीमाएं परिनिश्चित करता है :—

अनुसूची

बेमेतरा निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बहेरा, बैंजी, लोलेसरा, ढोलिया, मजगांव एवं ग्राम नवलपुर की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नवलपुर, मुड़पार, मोहतरा, पीपरभट्ठा, चोरभट्ठी एवं ग्राम मटका की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम मटका, बीजाभाठा, फरी एवं ग्राम तिलईकुंडा की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम तिलईकुंडा, खिलौरा, ओटेबंध, हथमुड़ी, भुंरकी, सिरवाबांधा एवं ग्राम बहेरा की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2014

क्रमांक आर/1482/33/20.—छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. एफ 2/33/2006, 14-07-2014 द्वारा होटल प्रबंधन, खानपान तकनीकी एवं पोषण आहार संस्थान के लिए गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, नया रायपुर के लिए निम्नानुसार समिति शासी निकाय मनोनीत करता है :—

1.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग	-	सदस्य
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	-	सदस्य
4.	अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
5.	वित्तीय नियंत्रक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
6.	महाप्रबंधक, होटल हयात, मेग्नेटो मॉल, रायपुर	-	सदस्य
7.	महाप्रबंधक, होटल बेबीलोन, रायपुर	-	सदस्य
8.	श्री नरेन्द्र भोई, केटरिंग विशेषज्ञ, नई दिल्ली	-	सदस्य
9.	प्राचार्य, होटल प्रबंधन खानपान तकनीकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, नया रायपुर	-	सदस्य
10.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल	-	सदस्य सचिव

2. इसकी बैठक वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एन. अवस्थी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

क्रमांक 4967/एफ 6-4/22/सा.आ. एवं जा. जन. 2011/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद, कबीरधाम, जशपुर, बस्तर, रायगढ़ एवं कोरिया के लिए, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी. 2011) के दौरान दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत/प्राप्त करने तथा उनका निराकरण करने के लिए समय-सीमा को स्वीकृति प्रदान करता है. कथित दावों और आपत्तियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियां के लिए समय सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. **प्रारूप सूची का प्रकाशन :** (दिनांक 22 दिसम्बर 2014)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र क्रमांक-क्यू-16015/04/2011-एआई (आर.डी.) दिनांक 17-05-2012 द्वारा परिवहित अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक-आर्थिक (जाति को छोड़कर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची दिनांक 22 दिसम्बर 2014 को निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित की जावेगी.

2. **ग्रामसभा की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2014 से 31 दिसम्बर 2014 के बीच बुलाना**
दिशानिर्देश अनुसार प्रारूप सूची के प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर अर्थात् 22 दिसम्बर 2014 से 31 दिसम्बर 2014 के बीच एक ग्रामसभा की बैठक सार्वजनिक समीक्षा हेतु बुलाई जाएगी. इस बैठक में जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा. यह ग्रामसभा प्रारूप सूची में अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी रहवासियों/परिवारों की समीक्षा करेगी. ग्रामसभा द्वारा प्रदर्शित प्रारूप सूची की जानकारी में इंगित त्रुटियों को दर्ज किया जाएगा. तथा आगामी कार्यवाही की जावेगी.

3. **पदांकित जनपद पंचायत स्तर अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दावे और आपत्तियों के आवेदनों की प्राप्ति** (दिनांक 20 जनवरी 2015 तक) विहित प्रपत्र में, दावे और आपत्तियों की प्रस्तुति और प्राप्ति का कार्य, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवसों तक किया जा सकता है, अर्थात् दावे और आपत्ति दिनांक 20 जनवरी 2015 तक की प्राप्त हो जाने चाहिए.

4. **दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम दिनांक** (11 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दावा और आपत्तियों का निराकरण दिशानिर्देश अनुसार, 07 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए, तथापि प्रारूप सूची प्रकाशन के 52वें दिन तक अर्थात् 20 जनवरी 2015 तक प्राप्त समस्त दावे और आपत्ति दिनांक 11 फरवरी 2015 तक अनिवार्यत: निराकृत हो जाने चाहिए.

5. **जिला स्तर पर पदांकित प्राधिकारी द्वारा अपील याचिकाओं की प्राप्ति** (दिनांक 19 फरवरी 2015)
जनपद पंचायत स्तर के निर्णय से असन्तुष्ट आवेदक द्वारा निर्णय ज्ञात होने के 07 दिवस के भीतर अपीलीय अधिकारी को अभ्यावेदन किया जाना होगा. अपील याचिकाओं की प्रस्तुति/प्राप्ति, प्रारूप सूची प्रकाशन की दिनांक से 60वें दिन तक अर्थात् दिनांक 19 फरवरी 2015 तक की जावेगी.

7. **अपील के निपटारे की अंतिम दिनांक** (11 मार्च 2015)
प्राधिकृत अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की सुनवाई और उन पर निर्णय के लिए अन्तिम समय-सीमा प्रारूप सूची प्रकाशन के 80वें दिन तक है अर्थात् अपील याचिकाएं 11 मार्च 2015 तक अनिवार्य रूप से निराकृत हो जाने चाहिए.

8. **अंतिम सूची का प्रकाशन** (दिनांक 13 मार्च 2015)
अंतिम सूची का प्रकाशन की कार्यवाही, प्रारूप सूची के प्रकाशन के 82वें दिन अर्थात् दिनांक 13 मार्च 2015 से भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राउत, अपर मुख्य सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2015 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-107/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 12 जनवरी, 2015 से 19 जनवरी, 2015 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 12-01-2015

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 12-01-2015	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 13-01-2015

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 13-01-2015

15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

बुधवार, दिनांक 14-01-2015

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	बुधवार, दिनांक 14-01-2015	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 15-01-2015

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 15-01-2015	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 16-01-2015	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 17-01-2015 एवं रविवार 18-01-2015 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 19-01-2015	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2014 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक/भू-अर्जन/2014/1212.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	धनेली	302/4	0.801	कार्य. अभि., लो.नि.वि. विधान सभा संभाग, रायपुर.	विधान सभा रोड से टेकारी-धनेली मार्ग का 6 लेन में निर्माण कार्य कि.मी. 8/6 से 18/2-9.50 कि. मी. मार्ग निर्माण हेतु.
			311/1, 311/2	0.272		
			312	0.514		
		योग	**3**	**1.587**		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

क्रमांक/भू-अर्जन/2014/1216.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना	0.140	कार्य. अभि., लो.नि.वि. विधान सभा संभाग, रायपुर.	कचना बलौदाबाजार मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 अगस्त 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2011-12.— उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-पुसल्दा, प.ह.नं. 28, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.332 हे. केलो परियोजना अंतर्गत केलो मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 11-05-2012 तथा दिनांक 24-08-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.008 हे. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-पुसल्दा

794/2	0.008
कुल खसरा नं. 01	कुल रकबा 0.008

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

क्रमांक/8879/भू-अर्जन/2014—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुन-र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-मानपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुड़ारास, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.60 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	262/1	0.29
	262/2	0.16
	262/3	0.02
	258	0.13
योग	4	0.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औंधी जलाशय के अंतर्गत माइनर नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.68 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
3	0.53
4/1	0.67
5/1, 5/2	0.45
12/3	0.42
12/8	0.30
12/5	0.21
40/2क, 40/3ख	0.11
5/13	0.26
40/5	0.23
40/7	0.03
40/2ग, 40/6	0.05
5/18	0.18
40/8	0.04
5/12	0.10
5/17	0.15
5/16	0.15
5/15	0.17
5/14	0.14
40/4	0.04
5/11	0.10
5/10ख	0.06

(1)	(2)
5/9	0.21
5/8ग	0.14
5/7ग	0.21
5/6क	0.21
5/6ख	0.05
5/5	0.20
5/13	0.10
40/2घ	0.15
40/9	0.02
योग	5.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामावतार जलाशय के फीडर चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-बिल्हा
  (ग) नगर/ग्राम-मटियारी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.68 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
30/1	0.18
37/2	0.14
38	0.08
37/1	0.01
69	0.08
64/7	0.11
64/3	0.08
योग	0.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मटियारी माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
  (ख) तहसील-बिल्हा
  (ग) नगर/ग्राम-नगाराडीह (कुंवा)
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
370/2	0.06
348/1	0.08
348/2	0.05
362/2	0.07
363/2	0.07
357/1	0.19
358/2	0.13

(1)	(2)
358/1	0.24
योग	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नगाराडीह माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
571	0.23
576/2	0.12
579/1	0.09
579/2	0.10
592	0.19
591/1	0.27
589/3	0.13
602/2	0.17
604/2	0.04
604/1	0.13
610/1	0.19
608	0.20
615/2	0.11
623	0.24
626	0.27
610/2	0.13
योग	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बोड़सरा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पासिद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
632 क	0.17
632	0.06
637/1	0.39
637/2	0.18
767/1	0.06
752	0.07
768/1, 768/2	0.14
772	0.13
773/2	0.31

(1)	(2)
773/1	0.11
योग	1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कुरेली माइनर नं. 1 बेलटुकरी माइनर एवं मंगला सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पोड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.98 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
204/7	0.11
204/5	0.24
204/9	0.02
204/10	0.13
159/3	0.04
159/1	0.05
158/1	0.19
156/1	0.17
156/2	0.15
160/1	0.13
160/4	0.09
197/4	0.14
197/3	0.14
197/1	0.25
196/4	0.13
योग	1.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत पोड़ी सब माइनर एवं मगरउछला माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-फदहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.57 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
25/1	0.22
25/2	0.21
23, 25/3	0.20
21	0.04
3	0.38
4	0.15
206	0.30
208/5	0.13
114	0.11
115/4	0.07

(1)	(2)
115/3	0.22
96/3, 119	0.10
136	0.11
155	0.07
158	0.05
152/3	0.06
164	0.10
161, 160	0.07
269, 270/2	0.08
257/3	0.02
271/2	0.04
271/1	0.06
277/1	0.14
278/1, 278/2	0.10
276/3	0.21
281/4	0.10
338/1	0.02
336	0.21
योग	3.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत लिमतरी माइनर एवं फदहा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-बेलटुकरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.81 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
156/1	0.19
156/2	0.24
160/2	0.01
160/3	0.26
167	0.11
योग	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत कुरेली माइनर नं. 2 एवं बेलटुकरी माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2013-14—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मंगला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.16 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
6	0.25
7/1	0.05
7/2	0.08
7/3	0.05
43/2	0.11
43/3	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
43/1	0.15	174	0.06
69	0.04	185	0.11
70/1	0.13	178	0.07
36/1	0.14	175/1	0.05
30/1	0.11	182/1	0.03
26/1	0.06	184	0.01
123/1	0.06	181	0.09
125/1	0.19	832/1	0.07
135/1	0.04	180	0.12
135/2	0.08	177/1	0.03
133	0.04	177/2	0.03
134	0.17	177/3	0.03
171/2	0.11	236/1	0.07
149	0.08	234	0.22
145	0.09	231	0.08
148	0.04	226	0.05
150/2	0.07	225	0.04
160	0.12	222	0.09
159/2	0.09	221	0.06
171/1	0.05	798	0.08
194	0.14	797	0.05
196	0.04	796	0.13
197	0.06	823	0.10
198	0.06	824/1	0.14
199	0.04	824/2	0.06
202	0.04	825/1	0.11
214/6	0.09	826/3	0.05
213	0.09	826/2	0.04
212/1	0.14	830	0.10
207/1	0.04	834	0.03
207/2	0.04	833/1, 835/2	0.08
42	0.11	1116	0.06
39	0.10	1118	0.07
37	0.21	1123/2	0.14
38/1	0.08	76, 89/2	0.27
38/2	0.07	89/1	0.10
28/2	0.03	88	0.01
18/1	0.07	92	0.06
18/2	0.05	94	0.13
24/1	0.05	93	0.06
19	0.20	85	0.09
24/2	0.06	84/1	0.02
24/3	0.14	100/1	0.07
151	0.08	333/2	0.04
153/1	0.12	100/2	0.07
154	0.08	107	0.14
155/1	0.07	106/1	0.03

(1)	(2)
106/2	0.03
109/2	0.11
109/1क	0.04
109/1ख	0.04
109/1ग	0.04
267	0.09
268	0.07
332	0.06
333/1	0.08
335/1	0.10
378	0.08
योग	9.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बिलासपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बेलटुकरी माइनर, कुरेली माइनर नं. 2, मटियारी माइनर एवं मंगला सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

क्रमांक 220/दो-3-27/2008.—श्री अशोक कुमार पोद्दार, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग दिनांक 30-11-2014 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06, दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 17th December 2014

No. 9282/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers Smt. Pratibha Verma, Judicial Magistrate First Class, Kurud, District Dhamtari to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.